राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

(1) प्रकरण सं0–अपीलडिक्री/टी.ए./3519/2005/जैसलमेर

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जैसलमेर

–अपीलार्थी

बनाम

पूंजाराम पुत्र विशनाराम मृतक जरिये वारिसान–
1. फूली देवी बेवा पुंजाराम (मृतक) नाम तर्क
2. मोतीराम
3. पींथाराम
4. जीवनराम पुत्रगण पुंजाराम जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम छपरवाडा तहसील व जिला जैसलमेर
5. श्रीमती अशरी पुत्री पुंजाराम पत्नी केलाराम जाति मेघवाल निवासी खुडियाला तहसील व जिला जैसलमेर
6. श्रीमती पप्पू पुत्री पुंजाराम पत्नी देउराम मेघवाल निवासी खुडियाला तहसील व जिला जैसलमेर
7. श्रीमती झीमा पुत्री पुंजाराम पत्नी प्रेमराम मेघवाल निवासी हाल कोटडी तहसील व जिला जैसलमेर
8. श्रीमती धाई पुत्री पुंजाराम पत्नी गिरधारीराम जाति मेघवाल निवासी कबीर बस्ती, जैसलमेर

–प्रत्यर्थीगण

(2) प्रकरण सं0–अपीलडिक्री/टी.ए./3641/2005/जैसलमेर

1. भंवराराम पुत्र विशनाराम
2. मानाराम पुत्र विशनाराम
3. नैनाराम पुत्र विशनाराम मृतक जरिये वारिसान–

3/1. मलूकादेवी पत्नी नैनाराम
3/2. रावताराम
3/3. हरकाराम
3/4. उतमाराम
3/5. रेखाराम पुत्रगण नैनाराम
3/6. रामेश्वरी पुत्री नैनाराम

4. दुर्गाराम पुत्र किशनाराम

समस्त जाति मेघवाल निवासी जैसलमेर

–अपीलार्थीगण

बनाम

पूंजाराम पुत्र विशनाराम मृतक जरिये वारिसान–
1. मोतीराम पुत्र पुजाराम
2. पीताराम
3. जीवनराम पुत्रगण पुंजाराम नाबालिग जरिये माता श्रीमती फूलादेवी बेवा पुंजाराम
4. फूली देवी बेवा पुंजाराम (मृतक) नाम तर्क समस्त जाति मेघवाल निवासी जैसलमेर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जैसलमेर

–प्रत्यर्थीगण

खण्ड–पीठ
श्री बी.एल. गुप्ता, सदस्य
श्री एच.एस. भारद्वाज, सदस्य

उपस्थितः–

1. श्री आर.के. गुप्ता, राजकीय अधिवक्ता, प्रकरण संख्या 3519/2005 में अपीलार्थी प्रकरण संख्या 3641/2005 में प्रत्यर्थी सरकार की ओर से
2. श्री पूर्ण शंकर दशौरा अधिवक्ता, प्रकरण संख्या 3641/2005 में अपीलार्थीगण की ओर से
3. श्री विरेन्द्रसिंह, अधिवक्ता, प्रत्यर्थी, पुंजाराम के वारिसान की ओर से

निर्णय

दिनांक 14–6–12

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर द्वारा अपील संख्या 16/2004 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13–04–2004 के विरूद्ध अपील संख्या 3519/2005 राज्य सरकार की ओर से तथा अपील संख्या 3641/2005 भंवरलाल वगैराह की ओर से प्रस्तुत की गयी है।

2. दोनों प्रकरणों के तथ्य, विवाद बिन्दू एवं पक्षकारों के समान होने से इनका निस्तारण विद्वान अधिवक्तागण की सहमति से एक साथ किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में रखी जावे।

3. दोनों प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि पुंजाराम, भवरूराम, मानाराम, नैनूराम एवं दुर्गाराम ने उपखण्ड अधिकारी, जैसलमेर के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत एक वाद राजस्थान सरकार को पक्षकार बनाते हुए विवादित आराजी खसरा नम्बर 426 के रकबे में से पूर्वी तरफ के हिस्से का रकबा 30 बीघा व खसरा नम्बर 432 के रकबे में से दक्षिण का हिस्सा रकबा 29 बीघा 13 बिस्वा की भूमि बाबत् अधिकारों की घोषणा का प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। तत्पश्चात् विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 9–7–1980 से वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज कर दिया। इस निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध वादीगण द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के न्यायालय में अपील संख्या 197/1980 प्रस्तुत की गयी जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 5–2–1983 से स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 9–7–1980 को निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः उपखण्ड अधिकारी, जैसलमेर को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण को पुनः दर्ज रजिस्टर करने के उपरान्त अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13–9–1983 से खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध पुंजाराम ने राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के न्यायालय में अपील संख्या 45/1989 प्रस्तुत की, जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 16–7–1991 से आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण पुनः निर्देशों के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण को पुनः दर्ज रजिस्टर कर प्रतिप्रेषण निर्देशों की अनुपालना में बाद आवश्यक

कार्यवाही अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19–9–1994 से वादी संख्या–1 पुंजाराम को विवादित आराजियात को खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया तथा वादी संख्या 2 लगायत 5 का हक साबित नहीं होने से उनका पक्ष अस्वीकार कर दिया। इस निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध राजस्थान सरकार द्वारा अपील संख्या 5/1995 एवं भवरूराम, मानाराम, नेनाराम, दुर्गा द्वारा अपील संख्या 21/1994 भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बाडमेर–जैसलमेर मु0 जोधपुर के न्यायालय में पृथक–पृथक प्रस्तुत की, जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 3–2–1999 से राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 5/1995 को स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री 19–9–1994 को खारिज कर दी तथा भवरूराम वगैराह की ओर से प्रस्तुत अपील को खारिज कर दिया। इस निर्णय के विरूद्ध पुजाराम ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष रिव्यू प्रार्थनापत्र संख्या 2/2000 प्रस्तुत किया जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 9–8–2000 से खारिज कर दिया। इस निर्णय के विरूद्ध पुंजाराम द्वारा राजस्व मण्डल में निगरानी संख्या 229/2000 प्रस्तुत की गयी, जिसे राजस्व मण्डल की माननीय एकलपीठ ने अपने निर्णय दिनांक 5–5–2003 से स्वीकार करते हुए रिव्यू प्रार्थनापत्र पर पुनः स्पष्ट निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण प्रथम अपीलीय न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया। माननीय राजस्व मण्डल के प्रतिप्रेषण निर्देशों की अनुपालना में प्रथम अपीलीय न्यायालय के रिव्यू प्रार्थनापत्र पुनः दर्ज रजिस्टर करने के उपरान्त उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 11–5–2004 से रिव्यू प्रार्थनापत्र को स्वीकार करते हुए अपील संख्या – 5/1995 की सीमा तक अपास्त किया जाकर प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश पारित किये। तत्पश्चात् राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत अपील संख्या 16/2004 (5/1995) पर उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनकर अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13–5–2004 से खारिज करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19–09–1994 को बहाल रखे जाने का आदेश पारित किया। इसी निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर

अपील संख्या 3519/2005 राज्य सरकार की ओर से तथा अपील संख्या 3641/2005 भवराराम वगैराह की ओर से प्रस्तुत की गयी है।

3. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमों संख्या 3519/2005 में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि वादीगण के हक में किसी प्रकार का भूमि का आवंटन आदेश नहीं है एवं ना ही उसने अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष आवंटन आदेश प्रस्तुत किया तथा ना ही विवादित भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रभाव में आने के समय से उनका कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है बल्कि उनका विवादित भूमि पर कभी कभार अतिक्रमी की हैसियत से कब्जा काश्त रहा है, जिसके आधार पर उन्हें खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। विवादित भूमि खसरा नम्बर 426 एवं 432 भू–प्रबन्ध रिकार्ड से बंजड सिवाय चक सरकारी भूमि दर्ज चली आ रही है, जिस पर वादीगण प्रत्यर्थीगण को कोई कानूनन खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। उनका यह भी कथन है कि वर्ष 1953 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू नहीं हुआ एवं ना ही वर्ष 1953 में आवंटन नियमों के प्रावधान की संरचना हुई थी। तथाकथित आंवटन जो प्रत्यर्थीगण बता रहे है वह फर्जी एवं गलत है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। योग्य राजकीय अधिवक्ता ने धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी सद्भाविक होने से क्षमा किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावे।

5. योग्य अधिवक्ता पूर्णाशंकर दशौरा ने अपील संख्या 3641/2005 के अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण एवं मृतक प्रत्यर्थी पुंजाराम ने संयुक्त रूप से वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी पर संयुक्त रूप से अधिकारों की उद्घोषणा का अनुतोष चाहा गया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालयों ने केवल मात्र वादी संख्या–1 को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित कर विधिक त्रुटि कारित की है। विवादित आराजी पक्षकारान के संयुक्त रूप से कब्जे काश्त की भूमि थी जिस पर सभी पक्षकारों का बराबर – बराबर का अधिकार था। धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र पर बहस करते हुए योग्य अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रत्यर्थी संख्या–1 द्वारा बाले–बाले आदेश प्राप्त कर लिया। अपीलार्थीगण को अन्य अपील जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है उसके नोटिस प्राप्त हुए, तब राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की जानकारी हुई। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी सद्भावित होने से क्षमा योग्य है। अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जाकर अपीलार्थीगण को भी प्रत्यर्थी पुंजाराम के वारिसान के साथ खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

6. योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी पर आवंटन के बाद से निरस्तर उनके पक्षकार का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलार्थी राज्य सरकार की ओर से आवंटन आदेश को विधिवत् रूप से निरस्त नहीं कराया गया है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय के समक्ष उनके पक्षकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से वाद को अपने पक्ष में प्रमाणित कराया गया था। उनका यह भी कथन है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रभाव में आने के समय से आदिनांक तक विवादित आराजी पर पुंजाराम का कब्जा होने से उसे विवादित आराजी के खातेदारी अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाते है। उनका यह भी कथन है कि उनके पक्षकार की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पर विस्तृत रूप से विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए

विचारण न्यायालय एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गयी है जिसमें उनके पक्षकार वादी संख्या–1 के वाद को प्रमाणित मानते हुए विवादित आराजी के खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है, जिसमें किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं है। उनका यह भी कथन है कि राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध दोनों अपीलें मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी है तथा धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र में उल्लेखित तथ्य सद्भाविक नहीं होने से विलम्ब को क्षमा किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दोनों अपीलों को खारिज किया जावे।

7. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की गयी बहस पर मनन किया तथा पत्रावलियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

8. सर्वप्रथम हम दोनों प्रकरणों में अपीलार्थी पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को निर्णीत करना उचित समझते है। अपीलार्थी पक्ष की ओर से दोनों प्रकरणों में प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र में उल्लेखित तथ्यों को मद्देनजर हम अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को सद्भाविक होना मानते हुए, धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र को स्वीकार कर विलम्ब को क्षमा किया जाना न्यायोचित समझते है। तद्नुसार दोनों अपीले प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को सद्भाविक होना मानते हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है।

9. विचारण न्यायालय द्वारा मूल वाद में केवल मात्र एक तनकी विरचित की गयी, जो निम्नानुसार है –

आया वादी मौजा जैसलमेर के खेत खसरा नम्बर 426 में से बतरफ पूर्वी हिस्सा रकबा 30 बीघा व खसरा नम्बर 432 बतरफ दक्षिण का हिस्सा रकबा 29 बीघा 13 बिस्वा पर वक्त आवंटन 31–12–1953 से निरन्तर काबिज है तथा काश्त करते है – वादी

10. विचारण न्यायालय द्वारा वादी संख्या–1 पुंजाराम को दिसम्बर, 1953 में 150 बीघा भूमि का आवंटन राजस्व ग्राम जैसलमेर में होना मानते हुए तथा वादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य रसीदात प्रदर्श–2 से प्रदर्श–6 एवं सम्वत् 2023 से 26 की गिरदावरी प्रदर्श–7, कमिश्नर रिपोर्ट तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत पारित निर्णय क्रमशः दिनांक 1–9–1967 व 1–2–1974 के आधार पर विवादित आराजी पर वादी संख्या–1 पुंजाराम का कब्जा काश्त निरन्तर होना मानते हुए उक्त आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है। इसी प्रकार प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की पुष्टि करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है।

11. विचारण न्यायालय ने पारित निर्णय में वादी संख्या–1 पुंजाराम को दिसम्बर, 1953 में 150 बीघा भूमि आवंटन होना माना है जबकि पत्रावली पर ऐसा कोई आवंटन आदेश उपलब्ध नहीं है। आवंटन आदेश के अभाव में यह निर्विवाद रूप से प्रमाणित नहीं होता है कि वादी संख्या–1 पुजाराम को दिसम्बर, 1953 में 150 बीघा आवंटित की गयी थी। विचारण न्यायालय की पत्रावली में इकरारनामा दिनांक 31–12–1953 प्रदर्श–ए संलग्न है, जिसे गोविन्द सिंह द्वारा सत्यापित किया गया है, जिस पर तहसील कार्यालय की कोई सील नहीं है। उक्त इकरारनामें में विवादित आराजी के खसरा नम्बर का कोई उल्लेख नहीं किया गया केवल मात्र विवादित आराजियात की सीमाओं का उल्लेख किया गया है। साथ ही जिस आवंटन आदेश के आधार पर यह इकरारनामा वादी लिखना बताता है वह आवंटन आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा इकरारनामें में उल्लेखीत शर्ते भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों से मेल नहीं खाली है। इस प्रकार वादी इकरारनामें के आधार पर विवादित आराजी पर कोई स्वत्व प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। जहां तक दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–2 से प्रदर्श–6 का सम्बन्ध है, वे लगान जमा कराने की रसीदात है, जिसके आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता है कि इसी विवादित आराजी बाबत् वादी द्वारा लगान

जमा कराया गया था। प्रदर्श–7 गिरदावरी सम्वत् 2023 से 26 प्रदर्शित करवाई गयी है, जिसके आधार पर विवादित आराजी पर निरन्तर वादी पक्ष का कब्जा प्रमाणित नहीं होता है। वादी द्वारा इससे पूर्व की गिरदावरियां प्रस्तुत नहीं की गयी है।

12. इस प्रकार विचारण न्यायालय के समक्ष वादी यह प्रमाणित नहीं कर सका कि खसरा नम्बर 426 व 432 का हिस्सा उसको आवंटन किया गया था। वादी ने इस सम्बन्ध में भी को प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया कि पर्चा लगान वर्ष 1979 में उसको मिला, वह कितना है। वादी द्वारा प्रस्तुत सम्वत् 2016 से 2032 तक की रसीदों में रकबा 90 बीघा 07 बिस्वा का ही उल्लेख है जिससे यह प्रमाणित होता है कि वादी का 150 बीघा भूमि पर कभी कब्जा काश्त नहीं था।

13. जहां तक नायब तहसीलदार, जैसलमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 1–9–1967 का प्रश्न है, यह निर्णय धारा 91 की कार्यवाही है। उक्त निर्णय से नायब तहसीलदार द्वारा आवंटन के आधार पर पुजाराम को विवादित भूमि पर काबिज होना मानते हुए 150 बीघा भूमि के खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है, उक्त पारित निर्णय में भी खसरा नम्बर का कोई उल्लेख नहीं है। साथ ही नायब तहसीलदार द्वारा क्षेत्राधिकारविहीन आदेश पारित करते हुए 150 बीघा भूमि के खातेदारी अधिकार वादी पुंजाराम को प्रदान किये गये है। हालांकि उक्त पारित निर्णय को विचारण न्यायालय के समक्ष प्रदर्शित नहीं करवाया गया है किन्तु उक्त पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में पुंजाराम के वारिसान कभी कोई क्लेम करे, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग कर इस आदेश को निरस्त किया जाना न्यायोचित समझते है। अतः नायब तहसीलदार द्वारा पारित ऐसे क्षेत्राधिकारविहीन आदेश को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 221 के अन्तर्गत मण्डल को प्रदत्त अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए निरस्त किया जाता है।

14. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध अपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किये गये है। अतः अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

15. परिणामतः राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत अपील संख्या 3519/2005 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री क्रमशः दिनांक 19–9–1994 एवं 13–5–2004 को निरस्त किया जाता है तथा विवादित आराजी पर वादी पुंजाराम की खातेदारी को निरस्त कर पुनः सरकारी सिवाय चक दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। उपरोक्तानुसार ही अपील संख्या 3641/2005 भी निर्णीत की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एच.एस. भारद्वाज)
सदस्य

(बी.एल. गुप्ता)
सदस्य